

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-विविध-18/2016-

128

/कृ., पटना, दिनांक 12-01-2017

MAIL/FAX प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, कृषि / उद्यान / भूमि संरक्षण / पी०पी०एम०बिहार, पटना / अपर निदेशक, (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / संयुक्त निदेशक (शष्य)-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल / संयुक्त निदेशक, (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णियाँ / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज तेलहन, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक कृषि अभियंत्रण / सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट / बायोगैस बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी मुजफ्फरपुर-सह-प्रचार्य / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक हुए व्यय का प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग : महालेखाकार बिहार, पटना का पत्रांक:-ए०ए०/व्यय प्रतिवेदन/2016-17/491 दिनांक-15.09.2016 एवं अर्द्ध शा०पत्र सं०-TM-(16-17)-1951 दिनांक-15.09.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के तहत सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सत्यापन का कार्य समय पर नहीं कराया जाता है। इसलिए इस कार्य के लिए मुख्यालय स्तर से एक सहायक को प्रत्येक महीने के 26 तारीख से अगले महीने के 10 तारीख तक महालेखाकार, बिहार कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय विवरणी टी०बी०नं० के साथ मांग की गई है ताकि सामेकित रूप से सत्यापन का कार्य कराया जा सके। परन्तु सत्यापन कराने हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से टी०बी०नं० के साथ व्यय विवरणी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से सत्यापन कराने में कठिनाई हो रही है।

अतएव अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक हुए व्यय का विवरणी, टी०बी०नं० सहित प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-20.01.2017 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि सामेकित व्यय विवरणी तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना के यहाँ सत्यापन का कार्य कराया जा सके।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 12-01-2017

ज्ञापांक 128

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।